"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी 2013—पौष 20, शक 1934

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-55/2012/20-तीन.—भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा-5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निर्देश देते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 35 सन् 2009) की धारा 23 की उप-धारा (1) में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उल्लिखित अर्हता और सेवा के निबंधन एवं शर्त संबंधी प्रावधान इसमें इसके पश्चात् यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में उपांतरित तथा लागू समझे जायेंगे, अर्थात् :—

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 35 सन् 2009) की धारा 23 की उप-धारा (1) अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी आदेश, निर्देश, अधिसूचना में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता के संबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित प्रारंभिक शालाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु, समय-समय पर इस प्रकार अधिसूचित विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अभ्यर्थियों को, निम्नलिखित छूट दी जायेगी—

1. उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा,

2. अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के संबंध में, उन्हें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, परंतु उन्हें उनकी नियुक्ति के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर, नियुक्ति हेतु व्यावसायिक अर्हता जैसे डी.एड. अथवा बी.एड., जैसी भी आवश्यक हो, अभिप्राप्त करनी होगी."

Raipur, the 10th January 2013

NOTIFICATION

No. F 13-55/2012/20-3.—In exercise of the powers conferred by sub-paragaph (1) of paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, directs that the provision regarding qualification for appointment and terms and conditions of service of teachers mentioned in sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), shall be deemed to be modified and applicable to the scheduled areas of the state upto the extent as specified, hereinafter, namely :—

"Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009) or any rules made thereunder or any order, direction, notification for the time being in force, regarding minimum qualification for appointment as a teacher, the following relaxation shall be given to the candidates of Primitive Tribal Groups, so notified from time to time, for appointment as teachers in the Elementary Schools situated in the Scheduled Areas of the State—

1. they shall not be required to pass the Teachers Eligibility Test (T.E.T.);

2. as regards essential educational qualification, they shall not be required to obtain minimum 50% marks in the essential educational qualification examination, provided that they shall have to obtain professional qualification for appointment as teachers such as D.Ed. or B.Ed. as may be nacessary, within 5 years from the date of their appointment."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.